रघुवर दास
Raghubar Das

झारखण्ड सरकार

मुख्यमंत्री
झारखण्ड सरकार
Chief Minister
Govt. of Jharkhand

अ॰शा॰पत्र संख्या 3900087
दिनांक 04/02/2018

प्रिय श्री सरयू राय जी,

आपका पत्रांक–1595 / मंत्री को॰, दिनांक 23 जनवरी, 2018 प्राप्त हुआ जिसके द्वारा खनन नियमों का उल्लंघन कर खनन करने वाली कम्पनियों पर लगे अर्थदंड की वसूली से संबंधित मामलों का उल्लेख करते हुए विषयों को गम्भीरता से लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त पत्र सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

भवदीय

4/2/2018

(रघुवर दास)

सेवा में,

श्री सरयू राय,
माननीय मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन,
धुर्वा, राँची–834004

3, काँके रोड, राँची–834008/ 3, Kanke Road, Ranchi-834008
दूरभाष/Tele.-0651-2280886, 2280996, 2400233 एवं 2280717, 2400232 (Fax/फैक्स)

Scanned with OKEN Scanner

● सरयू राय

झारखण्ड सरकार

मंत्री
संसदीय कार्य-सह
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

पत्रांक - 1595/मं०नि०को०
दिनांक - 23/01/2018

माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार.

समाचार पत्रों से जानकारी मिली है कि शाह कमीशन के प्रतिवेदन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश एवं झारखंड मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में "खनन नियमों का उलंघन कर खनन करने वाली कम्पनियों पर लगे अर्थदंड की वसूली" के लिये जिला खनन पदाधिकारी द्वारा की गई माँग पर पुनर्विचार करने के लिये सरकार ने संबंधित जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें उपायुक्त के अतिरिक्त उपसमाहर्ता और उपनिदेशक खान सदस्य होंगे. यह समिति सरकार द्वारा निर्धारित अर्थदंड की राशि पर खननकर्ता कम्पनियों की आपत्ति पर विचार करेगी.

जहां तक मेरी जानकारी है इस तीन सदस्यीय समिति का गठन विधिसम्मत नहीं है. नियमानुसार यदि किसी खनन कम्पनी को जिला खनन पदाधिकारी द्वारा तय की गई माँग पर आपत्ति है तो इसके विरुद्ध अपील करने के लिये खान न्यायाधिकरण उपयुक्त प्राधिकार है, जिसके गठन का प्रावधान संसद द्वारा बनाये गये कानून में है. इसके अतिरिक्त इस हेतु किसी अन्य समिति का गठन सरकार द्वारा करने का कोई प्रावधान कानून में नहीं है। इसलिये सरकार द्वारा गठित इस त्रिसदस्यीय समिति का कोई वैधानिक आधार नही है. इस कारण इस समिति का निर्णय मानने के लिये किसी को बाध्य नही किया जा सकता. यदि सरकार इस समिति का निर्णय मानने के लिये किसी को बाध्य करेगी तो न्यायालय मे यह नही टिकेगा.

इस समिति के गठन से इस भ्रम को बल मिलेगा कि झारखंड सरकार जनहित एवं राजकोष की कीमत पर वैसी खनन कम्पनियों को लाभ पहुँचाने का परोक्ष प्रयत्न कर रही है जो अर्थदंड भुगतान करने में आनाकानी कर रही हैं और २०२० तक की अवधि पार हो जाय इसके लिये एक न एक तिकड़म कर समय काटने की कोशिश में लगी हुई हैं। जबकि ऐसे मामले मे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट है और २८ दिसंबर २०१६ को हुई राज्य मंत्रिपरिषद का निर्णय भी स्पष्ट है जिसके आलोक में इन कम्पनियों के खनन पट्टों को इस शर्त पर अवधि विस्तार दिया गया है कि वे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के दो माह के

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651-2482455, फैक्स : 0651-2401023, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

भीतर अर्थदंड का भुगतान कर देंगी. जब राज्य सरकार के साथ इस आशय का एग्रीमेंट इन कम्पनियों ने किया तब जाकर इनके खनन पट्टों का अवधि विस्तार हुआ और इनके लिये पुनः खनन आरम्भ करना संभव हुआ. अन्यथा इनका खनन पट्टा रद्द हो गया होता. आश्चर्य है कि राज्य सरकार का खनन विभाग ही सरकारी खजाना पर चपत लगाने में लगा है और प्रयास कर रहा है कि कोई न कोई ऐसा रास्ता निकल जाय ताकि ये कम्पनियाँ नियमों को धत्ता बताते हुये खनन जारी रखें.

मुख्यमंत्री जी, आपको स्मरण होगा कि लौह अयस्क के मामले में विकास आयुक्त की अध्यक्षता मे गठित समिति ने, उसके पहले खान निदेशक की समिति ने और उससे भी पहले पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त की समिति ने स्पष्ट किया था कि २३ कम्पनियों ने नियमों का उल्लंघन कर लौह अयस्क का अवैध खनन किया है जिसके आलोक में सरकार ने २०१५ मार्च में २३ कम्पनियों का लौह अयस्क खनन पट्टा रद्द कर दिया था. इनमें से तीन कम्पनियाँ सरकार के इस निर्णय के विरोध में झारखंड उच्च न्यायालय गईं. इनमें से एक की याचिका की स्वीकृति पर हो रही बहस के समय ही माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को स्थगित कर दिया. तब तत्कालीन प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व सह अपर मुख्य सचिव ने महाधिवक्ता को पत्र लिखकर कहा था कि विभाग की ओर से इस मामले मे पैरवी करने के दौरान तत्कालीन अपर महाधिवक्ता ने न्यायालय में ठीक ढंग से विभाग का पक्ष नही रखा, यहाँ तक कि उन्होने इसके बारे में विभाग से परामर्श भी नहीं किया. उन्होने न्यायालय के सामने कतिपय महत्वपूर्ण तथ्य नहीं प्रस्तुत किया.

इसके बाद एक याचिकाकर्ता खनन कम्पनी द्वारा सरकार से अनुमति लिये बिना स्वतः खनन आरम्भ कर दिया गया जो अनियमित एवं अवैध था. खनन कम्पनियों का पट्टा रद्द करने के सरकार का आदेश स्थगित कर दिये जानेवाले माननीय झारखंड उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायादेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने अपील दायर करने के लिये पूर्वी सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी ने खान विभाग के वरीय अधिकारियों को लिखा और संचिका मे विस्तार से उन बिन्दुओं का उल्लेख किया जिन्हें खंडपीठ के समक्ष अपील का आधार बनाया जाना चाहिये. पर यह संचिका आज भी खान मंत्रालय में लंबित है.

इस मुकदमा में अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुये माननीय न्यायाधीश ने अगस्त २०१६ में स्पष्ट निर्णय दिया कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आवेदनकर्ता कम्पनियाँ दो माह के भीतर और अन्य कम्पनियाँ ६ माह के भीतर सभी प्रकार का उल्लंघन समाप्त करें और सरकार सम्पुष्ट करे कि इन्होंने उल्लंघन समाप्त कर दिया है, तभी ये खनन कर सकेंगी. माननीय न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय की अवधि कब का खत्म हो गयी है पर संबंधित कम्पनियों ने खनन शर्तों का उलंघन भी बंद नहीं किया और सरकार ने इनका खनन भी बंद नहीं किया.

Scanned with OKEN Scanner

इन कम्पनियों द्वारा खनन शर्तों का उल्लंघन कर खनन कार्य करते रहने के बारे मे पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के खनन पदाधिकारी ने उपायुक्त के माध्यम से प्रतिवेदन भेजकर खान विभाग को सूचित किया कि इन्होंने उलंघन समाप्त नहीं किया है और सरकार से मार्गदर्शन माँगा कि इस बारे में क्या किया जाय? खान मंत्रालय में यह संचिका आज भी लंबित है और अवैध खनन बदस्तूर जारी है. यानी माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्पष्ट निर्णय का पालन राज्यहित में करने के बारे में खान विभाग ने आवश्यक कारवाई नहीं किया और जनवरी २०१८ में भी पुराने चालान के नाम पर अवैध खनन का परिवहन जारी रहा.

माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय का आधा–अधूरा उद्धरण देकर २८ दिसंबर २०१६ को खान विभाग ने राज्य कैबिनेट के सामने एक संकल्प रखा जिस पर मेरी सहमति नहीं थी. मेरे विरोध और चेतावनी के बावजूद वह संकल्प स्वीकृत हो गया. इसके साथ सरकार और कम्पनियों के बीच एक सहमति पत्र का प्रारूप संलग्न था जिसके आधार पर इनके खनन पट्टों का अवधि विस्तार होना था. अवधि विस्तार की इच्छुक खनन कम्पनियों ने इस शर्त के अनुरूप अनुबंध पर हस्ताक्षर किया तब जाकर उन्हें अवधि विस्तार का लाभ मिला. इसमें प्रावधान था कि खनन शर्तों का उलंघन कर किये गये खनन की एवज में भुगतेय अर्थदंड के बारे मे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के २ माह के भीतर वे अर्थदंड का भुगतान कर देंगे. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुये कई माह बीत गये. पर कम्पनियों ने भुगतान नहीं किया, कुछ ने आंशिक भुगतान कर पल्ला झाड़ लिया और खान विभाग ने इनसे बकाया राजस्व की वसूली के लिये कोई कारवाई नहीं की.

अब इस बारे में सरकार की माँग के औचित्य पर विचार करने के लिये और सरकार द्वारा खनन कम्पनियों पर लगाये गये अर्थदंड का पुनर्निर्धारण करने के लिये जिला उपायुक्त की अध्यक्षता मे खान विभाग ने उपरलिखित समिति बना दिया है जिसका कोई वैधानिक आधार नही है. खान विभाग का यह निर्णय न केवल अवैधानिक है बल्कि राज्य कैबिनेट के २८ दिसंबर २०१६ के इस निर्णय के विरुद्ध भी है, इसकी अवहेलना भी है. समझ से परे है कि इस मामले में खान विभाग के अधिकारियों की मंशा आखिर क्या है? खनन नियमों का उलंघन कर अवैध खनन करने वालों की मदद वे क्यों और किसके इशारे पर कर रहे हैं ?

ओडिशा राज्य में बिना हीला– हवाला किये जिन कम्पनियों ने अर्थदंड का सीधे भुगतान कर दिया है वे भी झारखंड में लगे उससे काफी कम अर्थदंड का भुगतान करने में आनाकानी कर रही हैं. कारण कि ओडिशा सरकार दंड वसूलने के लिये कटिबद्ध है जबकि झारखंड सरकार के अधिकारी दोषी खननकर्ताओं को भुगतान नहीं करना पडे इसका रास्ता निकालने की जुगत भिड़ाने मे लगे हुये हैं. कानून का स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी कम्पनी को जिला खनन अधिकारी द्वारा निर्धारित वसूली की राशि पर एतराज है तो वह इसके विरुद्ध अपील में जा सकती है. ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिये कि इस मद में कम्पनियों पर लगे अर्थदंड की

Scanned with OKEN Scanner

माँग को वसूलने की कारवाई दृढ़ता से करे. जिनको यह माँग जंच नही रही है वे खान न्यायाधिकरण में जाने के लिये स्वतंत्र हैं, कुछ गये भी हैं. ऐसी स्थिति में उनपर लगाये गये अर्थदंड की माँग पर पुनर्विचार करना राज्यहित के साथ धोखा है, सरकार को गुमराह करना है. ऐसे मामले मे स्पष्ट कानूनी प्रावधान रहने के बावजूद जिलास्तरीय समिति बनाने का कोई औचित्य नही है. खान विभाग के अधिकारियों से पूछा जाना चाहिये कि वे ऐसा किस कानूनी प्रावधान के आधार पर कर रहे है?

अनुरोध है कि इस विषय को गंभीरता से लेंगे अन्यथा इस मामले में सरकार की नीयत पर उँगली उठेगी.

सादर,

भवदीय

27.11.2018

सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner